JALAUN POLICE

दिनांक – 31.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित की घटना के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोंच में दिनांक 29.09.2023 को मु0अ0सं0 234/23 (वाद संख्या 198/23) धारा 376DA/363/457 भादवि 5G/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 1- दिनेश रायक्वार पुत्र लल्लन रायक्वार 2. टिक्कू उर्फ कमलेश उर्फ नाना पुत्र स्व0 माता प्रसाद निवासीगण मो0 भगतसिंह नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण को दिनांक 01.10.2023 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 08.10.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 31.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1- दिनेश 2. टिक्कू उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 40,000-40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय– अभियुक्त प्रहलाद उर्फ ओमप्रकाश पुत्र चिन्टौले नि0 ग्राम बिल्लौड़ थाना रामपुरा जनपद जालौन द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होना तथा गैंग बनाकर आमजनमानस को डरा धमका कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 83/99 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 31.01.2025 को मा0 न्यायालय जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।